न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **30/2022**

प्रार्थीगण :–

1. गोरधनसिंह पुत्र हडमतसिह
2. गुमानसिंह पुत्र हडमतसिंह
3. भंवरसिंह पुत्र हमीरसिंह
4. अर्जुनसिंह पुत्र हमीरसिंह
5. सवाईसिंह पुत्र हमीरसिंह
6. चन्दनसिंह पुत्र हमीरसिंह
7. रूकमो कंवर बैवा हमीरसिंह
8. पाबुसिंह पुत्र गजेसिंह
9. सोहनसिंह पुत्र गजेसिह
10. धनसिंह पुत्र गजेसिह
11. मोहनसिंह पुत्र गजेसिह
12. किशनसिह पुत्र गजेसिह
13. सुन्दरकंवर बैवा गजेसिह सभी जातियान पुरोहित सभी निवासी केलनकोट हल्का पटवारी सिमरखीया तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. अमानसिंह पुत्र सुखसिंह
2. भीमसिंह पुत्र सुखसिंह
3. बाबुसिंह पुत्र सुखसिंह
4. खंगारसिंह पुत्र कानसिंह
5. पैपसिह पुत्र कानसिंह
6. किशोरसिह पुत्र कानसिंह
7. हरकू बैवा कानसिंह
8. चैनसिह पुत्र भैरोसिह
9. जीवराजसिंह पुत्र खेतसिहं
10. पृथ्वीसिह पुत्र खेतसिंह
11. हेमीदेवी बैवा खेतसिह
12. सोनसिंह पुत्र रूपसिह
13. दुर्गसिंह पुत्र रूपसिंह
14. माणकसिंह पुत्र रूपसिंह
15. हेमसिंह पुत्र रूपसिंह
16. साकूदेवी बैवा रूपसिंह
17. जसराजसिह पुत्र खींवसिंह
18. पूनमसिह पुत्र खींवसिंह
19. श्रवणसिंह पुत्र खींवसिह
20. श्यामसिंह पुत्र खींवसिंह
21. सुआदेवी बैवा खींवसिंह
22. तुलछसिंह पुत्र बुलसिंह
23. दौलसिंह पुत्र बुलसिंह
24. बाबुसिंह पुत्र बुलसिंह
25. सोहनसिह पुत्र प्रतापसिंह
26. लीलाकंवर बैवा प्रतापसिंह
27. दुर्गसिंह पुत्र गोपासिंह
28. हमीरसिंह पुत्र गोपसिंह
29. किशनसिंह पुत्र मुकनसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:54:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

30. नारायणसिंह पुत्र मुकनसिंह
31. तेजसिंह पुत्र मुकनसिंह
32. भूरसिंह पुत्र मुकनसिंह
33. पार्वतसिंह पत्नी उम्मेदसिंह
34. महावीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह नाबालिग वली माता पार्वतीदेवी पत्नी उम्मेदसिंह
35. जगमालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह नाबालिग वली माता पार्वतीदेवी पत्नी उम्मेदसिंह सभी जातियान पुरोहित सभी निवासी केलनकोट तह0पचपदरा
36. मानीदेवी बैवा मुकनसिंह जाति पुरोहित निवासी केलनकोट
37. हल्का पटवारी सिमरखीया तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
38. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत

उपस्थित :–

1. **श्री लाधूराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **विप्रार्थीगण :– एकतरफा**

'आदेश **दिनांक :– 22.12.2022**

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की खातेदारी एवं कब्जासुदा भूमि सरहद मौजा केलनकोट पटवार हल्का सिमरखीया की सरहद मे खेत खसरा संख्या 161/81 रकबा 54 बीघा 18 विस्वा भूमि स्थित है, जिस पर एकमात्र कब्जा प्रार्थीगण का कदीमी चला आ रहा है । एवं प्रार्थीगण संख्या 8 ता 13 की खातेदारी एवं कब्जासुद भूमि खसरा नंबर 162/81 रकबा 54 बीघा 18 विस्वा भूमि पर स्थित है । प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 36 का पूर्व में संयुक्त खेत खसरा संख्या 81 रकबा 328 बीघा 4 विस्वा भूमि थी, जिसका आपसी बंटवाडा किया गया, जिसके 7 नये खसरे बनाये गये, प्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के हिस्से में खसरा बनाये गये, प्रार्थीगण संख्या 1 [illegible] हिस्से में खसरा संख्या 161/81 रकबा 54 बीघा 18 विस्वा एवं प्रार्थीगण संख्या 8 ता 13 के हिस्से में खसरा संख्या 162/81 रकबा 54 बीघा [illegible] विस्वा एवं खसरा संख्या 160/81 रकबा 54 बीघा 18 विस्वा भूमि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के हिस्से में खसरा संख्या 163/81 रकबा 54 बीघा 17 विस्वा भूमि विप्रार्थीगण संख्या 4 से 16 के हिस्से में एव खसरा संख्या 164/81

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:54:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रकबा 36 बीघा 12 विस्वा भूमि विप्रार्थीगण संख्या 17 से 24 तक के हिस्से मे व खसरा संख्या 165/81 रकबा 36 बीघा 12 विस्वा भूमि विप्रार्थीगण संख्या 25 से 28 तक के हिस्से मे तथा खसरा संख्या 166/81 रकबा 36 बीघा 12 विस्वा भूमि विप्रार्थीगण संख्या 29 से 36 तक को हिस्से में बंटवाडा मे मिली थी, एवं उसी हिस्सेनुसार ही नक्शा ट्रेस मे तरमीम करनी चाहिए थी, मगर हल्का पटवारी द्वार लिपिकिय भूल के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी खेत एवं हिस्से की भूमि की तरमीम गलत कर दी गई एवं अन्य विप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि मे नक्शों की तरमीम गलत कर उनका नक्शा में हिस्सा बढा दिया गया, जिसके कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य विवाद होने की संभावना पैदा हो गयी है । अतः में निवेदन किया कि खेत खसरा नंबर मूल 81 के सभी नये खसरों की की गई गलत तरमीम को दुरूस्त कर हक हिस्से एवं मौके पर कब्जे के अनुसार सही तरमीम करवाने का आदेश फरमाएं ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या – 1 से 36 बावजूद सूचना व सुनवाई के पर्याप्तम अवसर उपरान्त भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी ।

तहसीलदार पचपदरा को मौका एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी कि गयी। तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रंमाक–भू.अ/2022/5190 दिनांक 11.11.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई । जिसमे अनुसार कथन किया कि केलनकोट के मूल खसरा संख्या [illegible] 40-07 बीघा मे मौके पर पंहुच कर खसरा [illegible] से सीमांकन किया गया राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रकबा एवं मौका स्थिति पर मौजूद रकबे मे अन्तर आ रहा है जो खसरा वाइज जमाबंदी अनुसार व नक्शा /मौका अनुसार विवरण अंकित करते हुए जमाबंदी मे दर्ज रकबे के अनुसार नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:54:47 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ट्रेस मे दुरस्त किया जाना उचित बताया गया । साथ ही परिशिष्ट 'अ' मे वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिती परिशिष्ट 'ब' प्रस्तावित तरमीम शुद्वि का संलग्न किया है जो निम्नानुसार है ।

क्र. स	खसरा संख्या	रकबा जमाबंदी अनुसार	रकबा लट्ा के अनुसार	कमी – वृद्वि +	रकबा नक्शा लट्ा ट्रेस अनुसार
1.	160/81	54.18	55.07	+ 0.09	माप लटे अनुसार किया गया
2.	161/81	54.18	51.14	– 3.04	
3.	162/81	54.18	45.05	– 9.13	
4.	163/81	54.05	56.10	+ 2.05	
5.	164/81	7.10	7.10	0	
6.	165/81	35.04	43.18	+ 8.14	
7.	166/81	35.04	24.03	– 11.01	
8.	184/81	0.12	0.12	0	
9.	185/81	1.08	1.08	0	
10.	186/81	1	1	0	
11.	187/81	1.08	1.08	0	
12	314/81	10.03	14.18	+15	
13	315/81	9.13	15.05	+ 5.12	
14	316/81	7.10	9.13	+ 2.03	
15	317/81	0.16	0.16	0	

उक्त रिपोर्ट के साथ खसरावार खातेदारान के नाम विवरण सहित सूची प्रस्तुत करते हुए उपस्थित खातेदारान के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान सहित पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हुए परिशिष्ट 'ए' 'बी' 'सी' नक्शा ट्रेस पेश किये गये ।

मौका रिपोर्ट पूर्ण विस्तृत विवरण सहित प्राप्त होने के पश्चात भी सम्बन्धित हल्का पटवारी को व्यक्तिशः बयान हेतु उपस्थित होने के लिए तलब की गयी जिस पर हल्का पटवारी डालचन्द मेगवाल ने उपस्थित होकर कथन किया कि खसरा संख्या 81 रकबा 329 बीघा 14 विस्वा भूमि कलनकोट तहसील पचपदरा मे स्थित है जो मेरे हल्के मे है । तत्तकालीन पटवारी पूर्व पटवारी ओमाराम पटवारी के द्वारा बनायी गयी मौका रिपोर्ट प्रदर्श–1 है जिस पर ए से बी ओमाराम पटवारी के हस्ताक्षर है। ओमाराम ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये इसलिए उनके हस्ताक्षर मै

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:54:47 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पहचनाता हूं। मौका रिपोर्ट प्रदर्श –1 मे विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है, इसलिए लट्ा ट्रेस मे प्रार्थीगण की प्रार्थना के अनुसार एवं मौका रिपोर्ट अनुसार गलत तरमीम को दुरस्त हक हिस्से के अनुसार बनायी गयी है। संशोधन करना उचित है।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 आर.एल.आर मौजा केलनकोट के खसरा संख्या मूल 81 के सभी नये खसरो की गलत तरमीम को दुरूस्त कर हक हिस्से व मौके कब्जे अनुसार तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

हमने प्रार्थीगण वकील की बहस को सुना व बहस पर मनन किया पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट का अवलोकन समूचित स्थिति के विवेचन करने के उपरान्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, हल्का पटवारी के बयान के मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा केलनकोट, पटवार हल्का सिमरखीया , भू.अ.नि बागावास के खेत खसरा संख्या मूल 81 मे कब्जा/बंटवाडा/बेचान/जमाबंदी मिलान कर प्रस्तावित तरमीम मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा मे वर्णित स्थित अनुसार तरमीम कर राजस्व रेकर्ड मे अंकन/दुरूस्ती की कार्यवाही विधिनुसार करे । खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:34:47 IST
Reason: SelfAttested

(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा